



## Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

क्रमांक: हि.शि.बो.(39)/पाठ्यपुस्तक/फा0सं014/2026/ 444-450

दिनांक: 07-05-2016

### अधिसूचना

चूंकि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा छठी के लिये निर्धारित "Folk Culture of Himachal and Yog" विषय की (अंग्रेजी माध्यम) पाठ्यपुस्तक (कोड 0626) में त्रुटियां पाई जाने से संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। मामले की गंभीरता के दृष्टिगत शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त पाठ्यपुस्तक की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा करवाई गई। समीक्षा उपरान्त पाया गया है कि त्रुटियों के कारण उक्त पाठ्यपुस्तक को जारी रखा जाना छात्र हित में उचित नहीं है क्योंकि इससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश के छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत उक्त पाठ्यपुस्तक "Folk Culture of Himachal and Yog" को वापिस (Rollback) लिये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक, स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1
3. समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।
3. वरिष्ठ आशुलिपिक (अध्यक्ष/सचिव), हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) को अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी पुस्तक वितरण शाखा को इस आशय से प्रेषित है कि सभी पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को निर्देशित करें कि उक्त पाठ्यपुस्तक की विक्री न करने व पाठ्यपुस्तक को Rollback करने से संबंधित आगामी कार्यवाही करें।
7. लोक संपर्क अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०  
सचिव